सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश
1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003
फोन-0755-2556916, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

आजादी का अमृत महोत्सव

क्रं./2022/294/599 भोपाल, दिनांक 16/11/2022

प्रति,

समस्त संयुक्त/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग,
म.प्र.।

विषय:- समस्त पेंशन योजनाओं में नवीन स्वीकृति हेतु डिजीटल सिग्नेचर अनिवार्य करने के संबंध में।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन एन.आई.सी. के द्वारा विकसित पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। नवीन पेंशन स्वीकृति की व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ करने हेतु डिजीटल सिग्नेचर को अनिवार्य किया गया है।

अत: समस्त पदाभिहित अधिकारी नवीन पेंशन स्वीकृत करने हेतु डिजीटल सिग्नेचर करने की कार्यवाही निम्नानुसार सुनिश्चित करें :-

1. सर्वप्रथम पदाभिहित अधिकारी पेंशन पोर्टल पर स्वयं के डिजीटल सिग्नेचर को रजिस्टर करेंगे।
2. रजिस्टर करने के उपरांत डिजीटल सिग्नचेर को एक्टिवेट करेंगे।
3. डिजीटल सिग्नचेर करने हेतु Utility for Digital Sign को Download करेंगे।
4. पात्रता का परीक्षण करने के उपरांत पात्रता के आधार पर पेंशन स्वीकृत करने की अनुशंसा करेंगे।
5. अनुशंसित प्रकरणों को डिजीटल साईन करने की कार्यवाही करेंगे।

अत: उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार समस्त पदाभिहित अधिकारी नवीन पेंशन स्वीकृत करने हेतु डिजीटल सिग्नेचर करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। डिजीटल सिग्नेचर करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(**डॉ. ई. रमेश कुमार**)
आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.
भोपाल, दिनांक 16/11/2022

पृ.क्र./ 2022/294/600

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण ।
2. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र. ।
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
5. श्री योगेश सिंह, तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. म.प्र. ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद, म.प्र.।
8. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, म.प्र.।

आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

नवीन स्वीकृत प्रकरणों को DSC करने की प्रक्रिया

1. सर्वप्रथम पेंशन पोर्टल पर स्थानीय निकाय लॉगईन करें।
2. Digital Certificate Management Menu से Register Your Digital Certificate से पदाभिहित अधिकारी (आयुक्त, नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद) स्वयं का DSC Register करें।
3. DSC Register करने के उपरांत Download Utility for Digital Sign पर क्लिक कर Utility Download करें।
4. Java configure में security Tab अंतर्गत पेंशन पोर्टल की URL को Add करें।

Pension Module पर जाकर पूर्व की प्रक्रिया अनुसार पात्रता एवं दस्तावेज के आधार पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही करें।

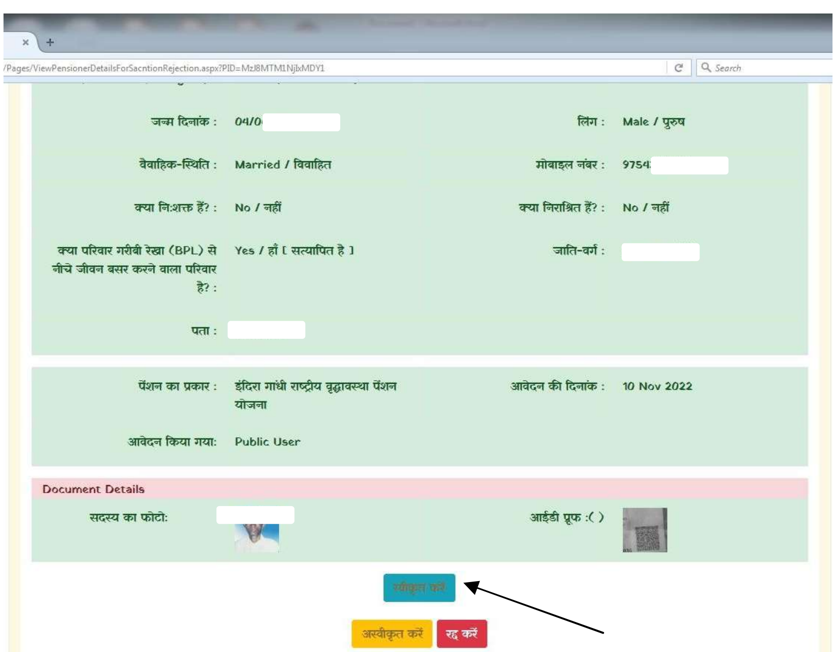

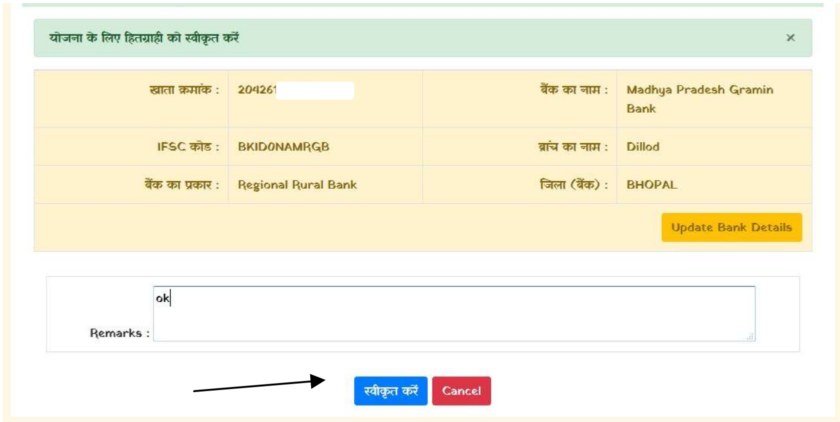

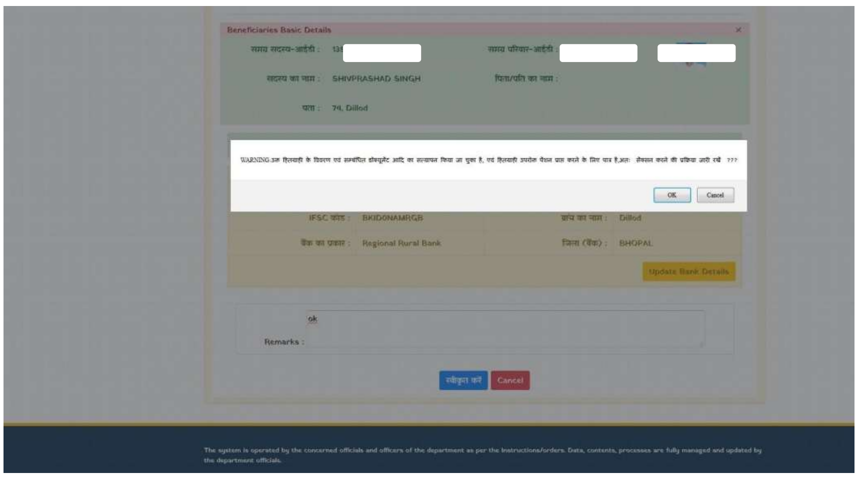

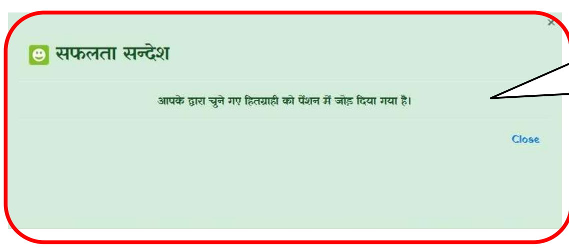

आपके द्वारा हितग्राही का सत्यापन कर स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, उक्त प्रकरण को Digitally Sign करें।

After Sanction. Go to Home—and click on View Order(s) to Sign.

स्वीकृत प्रकरणों को DSC करने हेतु View Sanction Order(s) to Sign पर क्लिक करें

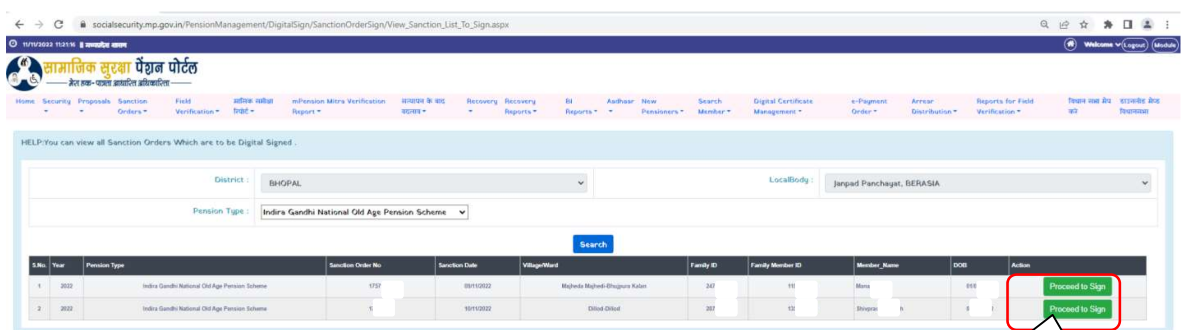

स्वीकृत प्रकरणों को DSC करने हेतु Process to Sign पर क्लिक करें

स्वीकृत प्रकरणों को DSC करने हेतु Click here for Digital Signature पर क्लिक करें

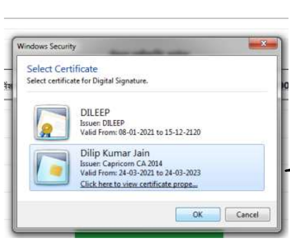

Register किये गये DSC का चयन करें

Some Requirements for Digital Signature on Pension Portal:-

1. Update latest Version of Firefox on the system.
2. All up to date with your PC- Windows updated
3. Firewall disable only for signing time. - disable
4. Check Anti virus etc. - disable
5. Download NIC new utility from the portal.
6. Run the setup file first (NIC Utility) for DSC.

Troubleshooting:

1. If a blank "Warning" means your nic setup is not running. you have to run the setup.

2. Message "Your Digital Signature not Matched with Your Login!!!" showing it means you have not uploaded a related "Digital Certificate". Upload related "Digital Certificate" then sign.